आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 90 / 2019—2020

(भूदान पत्र—दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

02.12.24

दाता श्री चन्द्रदेव सिंह, पिता—सौदागर यादव, ग्राम—चमण्डी, थाना—कुर्था, अंचल—सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला—अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद—सह—अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान—यज्ञ—दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान—यज्ञ—दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत हैः—

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
16	104	06 डी०	उत्तर— दक्षिण— पूरब— पश्चिम—

मौजा—चमण्डी, थाना—कुर्था, अंचल—सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला—अरवल।

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 838 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर से भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में वर्णित भूमि वर्तमान दखल कब्जाधारी छोटन यादव, पिता—स्व० रामचन्द्र सिंह को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर द्वारा भूदाता से संबंधित एवं कब्जाधारी का नोटिस तामिला समर्पित किया गया। भूदाता द्वारा नोटिस प्रतिवेदन पर उल्लेखित किया गया है कि भूदाता के सभी परिवार दिल्ली में रहते है। भूदाता की मृत्यु हो गई है। वर्तमान कब्जाधारी के पुत्र कौशल कुमार द्वारा नोटिस लेने से इंकार किये। प्रस्तावित भूमि के संबंध में किसी के द्वारा आपति दर्ज नही की गई।

भूदान दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर भूदाता चन्द्रदेव सिंह का वास्ते कर हस्ताक्षर अंकित है। भूदाता द्वारा दान पत्र के माध्यम से प्रस्तावित भूमि दिनांक 09.12.1956 को दान दिया गया है। अंचल अधिकारी, सोन भद्र वंशी सूर्यपूर ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खाता

संख्या–199, खेसरा संख्या–80, रकवा–02 डी० मंगनी गोप, पिता–शिव टहल गोप के नाम पर खतियान दर्ज है जिसका कुल रकवा–0.24 डी० है। खतियानी रैयत का भूदाता का कोई संबंध नही है। चन्द्रदेव सिंह के नाम पर जमाबंदी चल रही है। जमाबंदीधारक को भूदाता से कोई संबंध नही है। छोटन यादव, पिता–स्व० राम चन्द्र सिंह प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में दखल कब्जा है। कब्जाधारी का भूदाता से कोई संबंध नही है। प्रस्तावित भूमि धनहर है। भूहदबंदी, धार्मिक न्यास बोर्ड, केसरे हिन्द, गैरमजरूआ मालिक, आम से मुक्त है।

भूदान वितरण जाँच आयोग, (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार पटना के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में उल्लेखित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है वैसे दान पत्रों को संपुश्टि की कार्यवाई की जायेगी।

चूँकि आम एवं खास सूचना निर्गतोपरान्त इस वाद में भूदाता एवं वर्तमान कब्जाधारीगण अथवा किसी अन्य द्वारा कोई आपति नही दी गई है। इसलिये अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के द्वारा जॉच प्रतिवेदन में भूदाता द्वारा दान दिया गया भूमि में भिन्ता है। भूदाता द्वारा दान पत्र के माध्यम से खाता संख्या–16, खेसरा संख्या–104, रकवा–06 डी० मौजा–चमण्डी में दान दिया गया है जबकि अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर द्वारा जॉच प्रतिवेदन में खाता संख्या–199, खेसरा संख्या–80, रकवा–02 डी० उल्लेखित किया गया है। अतः भूदाता द्वारा दान पत्र के माध्यम से दान में दिया गया भूमि को असम्पुश्ट की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह– अरवल एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 21.07.2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

(हस्ताक्षर) 21.07.2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।